न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 620 / 2023

अनवान : –

1. कमल कुमार कन्दोई पुत्र जगदीश प्रसाद कन्दोई जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सरोज देवी पत्नी गुरदयाल सिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीया**

निर्णय **दिनांकः** 02/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि चक 27 एनटीआर तहसील नोहर में स्थित है वादी की खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 34 के प0न0 326 / 425 मु0न0 8 के किला न0 21 / 1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 21 / 2 की 0.1650 हैक्ट, 22 / 1 की 0.0750 हैक्ट, प0न0 326 / 426 मु0न0 17 के किला न0 1 / 1, 1 / 2 व 8 / 2, व 9 / 1, 9 / 2, एवं 10 / 1, 12 / 2 कुल किता 10 की0.7460 हैक्ट भूमि व प्रतिवादी स0 1 की रोही मौजा 27 एनटीआर के खाता स0 157 / 34 के प0न0 326 / 425 मु0न0 8 के किला न0 22 / 2 की 0.1270 हैक्ट प0न0 326 / 426 मु0न0 17 के किला न0 2 की 0.1260 हैक्ट भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा चक 27 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 34 वर्तमान खाता संख्या 157 की भूमि पूर्व में खाता संख्या 34 मे कमल कुमार वादी अकेले की थी जो वादी द्वारा प्रतिवादीया को भूमि विक्रय करने पर जब प0न0 326 / 425 मु0न0 8 के किला न0 22 के किला न0 22 / 1 व 22 / 2 तथा प0न0 326 / 426 मु0न0 17 के किला न0 2 के किला न0 2 / 1 व 2 / 2 बनाये गये तो वादी के हिस्सा में प्रतिवादी का नाम दर्ज कर दिया, प्रतिवादी के हिस्सा में वादी का नाम लिख दिया इसलिए वादी न्यायालय से प0न0 326 / 426 मु0न0 17 के किला न0 2 व प0न0 326 / 425 मु0न0 8 के किला न0 22 की दुरूस्ती करवा पाने का अधिकारी है।

वादी का प0न0 326 / 425 मु0न0 8 के किला न0 22 की पश्चिम पासा की 0.029 हैक्ट भूमि तथा प0न0 326 / 426 मु0न0 17 के किला न0 2 की पश्चिम पासा की 0.029 हैक्ट भूमि तथा प्रतिवादी स0 1 का प0न0 326 / 426 मु0न0 17 के किला न0 2 की 0.097 हैक्ट भूमि पूर्वी पासा की तथा मु0न0 8 के किला न0 22/2 की 0.098 हैक्ट भूमि पूर्वी पासा की है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादीया को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादीया सं0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीया को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीया का इकबाल जवाब प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा चक 27 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 34 वर्तमान खाता संख्या 157 की भूमि पूर्व में खाता संख्या 34 मे कमल कुमार वादी अकेले की थी जो वादी द्वारा प्रतिवादीया को भूमि विक्रय करने पर जब प0न0 326/425 मु0न0 8 के किला न0 22 के किला न0 22/1 व 22/2 तथा प0न0 326/426 मु0न0 17 के किला न0 2 के किला न0 2/1 व 2/2 बनाये गये तो वादी के हिस्सा में प्रतिवादी का नाम दर्ज कर दिया, प्रतिवादी के हिस्सा में वादी का नाम लिख दिया इसलिए वादी न्यायालय से प0न0 326/426 मु0न0 17 के किला न0 2 व प0न0 326/425 मु0न0 8 के किला न0 22 की दुरूस्ती करवा पाने का अधिकारी है। वादी का प0न0 326/425 मु0न0 8 के किला न0 22 की पश्चिम पासा की 0.029 हैक्ट भूमि तथा प0न0 326/426 मु0न0 17 के किला न0 2 की पश्चिम पासा की 0.029 हैक्ट भूमि तथा प्रतिवादी स0 1 का प0न0 326/426 मु0न0 17 के किला न0 2 की 0.097 हैक्ट भूमि पूर्वी पासा की तथा मु0न0 8 के किला न0 22/2 की 0.098 हैक्ट भूमि पूर्वी पासा की है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार चक 27 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 34 के प0न0 326/425 मु0न0 8 के किला न0 21/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 21/[illegible] की [illegible]1650 हैक्ट, 22/1 की 0.0750 हैक्ट, प0न0 326/426 मु0न0 17 के किला न0 [illegible] व 8/2, व 9/1, 9/2, एवं 10/1, 12/2 कुल किता 10 की0.7460 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा 27 एनटीआर के खाता स0 157/34 के प0न0 326/425 मु0न0 8 के किला न0 22/2 की 0.1270 हैक्ट प0न0 326/426 मु0न0 17 के किला न0 2 की 0.1260 हैक्ट भूमि प्रतिवादीया स0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि प0न0 326/425 मु0न0 8 के किला न0 22 के किला न0 22/1 व 22/2 तथा प0न0 326/426 मु0न0 17 के किला न0 2 के किला न0 2/1 व 2/2 बनाये गये तो वादी के हिस्सा में प्रतिवादी का नाम दर्ज कर दिया, प्रतिवादी के हिस्सा में वादी का नाम लिख दिया इसलिए वादी न्यायालय से प0न0 326/426 मु0न0 17 के किला न0 2 व प0न0 326/425 मु0न0 8 के किला न0 22 की दुरूस्ती करवा पाने का अधिकारी है। वादी का प0न0 326/425 मु0न0 8 के किला न0 22 की पश्चिम पासा की 0.029 हैक्ट भूमि तथा प0न0 326/426 मु0न0 17 के किला न0 2 की पश्चिम पासा की 0.029 हैक्ट भूमि तथा प्रतिवादी स0 1 का प0न0 326/426 मु0न0 17 के किला न0 2 की 0.097 हैक्ट भूमि पूर्वी पासा की तथा मु0न0 8 के किला न0 22/2 की 0.098 हैक्ट भूमि पूर्वी पासा की है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 27 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 34 व 157 के प0न0 326/426 मु0न0 17 के किला न0 2 की 0.126 हैक्ट भूमि में पश्चिम पासा की 0.029 हैक्ट भूमि का वादी को तथा पूर्वी पासा की 0.097 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया स0 1 को तथा प0न0 326/425 मु0न0 8 के किला न0 22/2 की कुल 0.0127 हैक्ट भूमि में से पश्चिम पासा की 0.029 हैक्ट भूमि का वादी को तथा 0.098 हैक्ट भूमि पूर्वी पासा की प्रतिवादीया स0 1 को तथा प0न0 326/425 मु0न0 8 के किला न0 22/1 की कुल 0.075 हैक्ट भूमि में से वादी को पश्चिमी पासा की 0.017 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी स0 1 को पूर्वी पासा की 0.058 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 620 / 2023

अनवान : –

1. कमल कुमार कन्दोई पुत्र जगदीश प्रसाद कन्दोई जाति अग्रवाल निवासी नोहर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सरोज देवी पत्नी गुरदयाल सिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 620 सन 2023 निर्णय दिनांक 02/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादी श्री महेशचन्द्र शर्मा व पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 27 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 34 व 157 के प0न0 326/426 मु0न0 17 के किला न0 2 की 0.126 हैक्ट भूमि में पश्चिम पासा की 0.029 हैक्ट भूमि का वादी को तथा पूर्वी पासा की 0.097 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीया स0 1 को तथा प0न0 326/425 मु0न0 8 के किला न0 22/2 की कुल 0.0127 हैक्ट भूमि में से पश्चिम पासा की 0.029 हैक्ट भूमि का वादी को तथा 0.098 हैक्ट भूमि पूर्वी पासा की प्रतिवादीया स0 1 को तथा प0न0 326/425 मु0न0 8 के किला न0 22/1 की कुल 0.075 हैक्ट भूमि में से वादी को पश्चिमी पासा की 0.017 हैक्ट भूमि का तथा प्रतिवादी स0 1 को पूर्वी पासा की 0.058 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:53:15 IST
Reason: SelfAttested